

नम्बर व तारीख
जो इस हुक्म में जारी हुए

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत मुकाम
 डौमप्रकाश बनाम (जिसका नाम)
 करम मुकदमा नं. 79/14 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23/7/19	<p>परापूर्वी पैदा हुई, बकील वाली छपन, परापूर्वी में तहसील, जेठुं हारा ग्राम बिलौर की कृषि अराजी का वाली डौमप्रकाश बनाम प्रतिवादी जिसका नाम वॉरंट के मध्य विभागन हेतु रिपोर्ट जारी परांक 581 डि० 14/6/19 को प्रस्तुत की गई, प्राप्त रिपोर्ट पर अधिवक्ता वाली को सूका गया, रिपोर्ट अनुक्रम व पंचा मोवा अनुसूची वाली हारा ग्राम बिलौर की आ० सं० 1609/1, 1610/1 शेष कुल प्लॉट - 2 में वाली का विस्तार 317 व प्लॉट सं० 123 के आ० सं० 1565, 1568, 1570, 1573 प्लॉट - 4 एका 0-78 हे० में वाली का 3/4 विस्तार का विभागन करने से मोके पर अनुसूची वाले हुए. पंचा मोवा पर वाली हारा एतदनुसूची प्लॉट गरी का संवर्धित अराजी का विभागन नहीं कराया जाये है। अतः ताद वाली का विभागन करने से नका वाले काण दावा एतदनुसूची प्लॉट है। परापूर्वी केवल श्रुति की भावना नका से काम हो।</p>	

23/7/19

कार्यालय तहसीलदार बेगूँ जिला-चित्तौड़गढ़ (राज0)

क्रमांक/राजस्व/2019/ 581

दिनांक:-14/06/2019

प्रेषित:-

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

बेगूँ


विषय : प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर महोदय बेगूँ के प्रकरण संख्या 79/14 अनवान ओमप्रकाश बनाम जमनालाल मौजा बिछोर प0ह0 बिछोर की पालना में ओमप्रकाश पिता प्यारेलाल बाहमण नि0 बिछोर के भूमि बंटवारा के आदेश की पालना में बाद सुचना भू.अ.नि. बिछोर द्वारा वादी एवम प्रतिवादी के साथ मौके पर उपस्थित हुए ग्राम बिछोर की आ.न. 1609 मी. आ.न. 1610/1 मी. कुल किता-2 में वादी का हिस्सा 3/7 खाता संख्या 123 आ.न. 1565,1568,1570,1573 कुल किता-4 रकबा 0.78 है0 में वादी 3/14 हक हिस्सा प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके पर पहुंचे जहां वादी श्री ओमप्रकाश पिता प्यारेलाल बाहमण नि0 बिछोर ने विभाजन कराने से इन्कार किया गया जिसका पर्चा मौका तैयार किया गया है।

अतः मुल ही भू.अ.नि. बिछोर की रिपोर्ट मय पर्चा मौका संलग्न कर श्रीमान की सेवामे सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


तहसीलदार
बेगूँ जिला-चित्तौड़गढ़

165
17/6/19

शिप्टी गु. 31. नि. नि. 1012 लहो बेग

दि 14-6-19

सेवा में

सीमान उप रण्य अधिकारी भणे
उपखल कार्य केर

हाल - लहसीलदार साहब लहसील बेग

विषय - प्राथमिक डिक्री की पालना के क्रम में

पुषंग - उकरा 79/14 (55-88 RTA) गाम बिछौर

महोदयजी

बिदेन की सीमान सहायक कलेक्टर लहो-बेग

के आदेश अनुसार उकरा सं. 79/14 की पालना में
पारित आदेश अनुसार मोजा बिछौर लदी ओमप्रकाश पि
ज्यारेलाल ब्राह्मण नि बिछौर के माली बरवारा के
आदेश की पालना में बाद खुबना लदी हेवट्ट उतिकी
के आद्य मोके पर पड्या मोजा बिछौर की काठ न
1609 सी 1610/1 सी किला 2 से लदी का हि 3/7 खता

Rev
An
1/16

सं. 123 काठ न 1565-1568-1570-1573 किला परकद
078 केरु में लदी का 3/14 हकदिसा प्राथमिक डिक्री
के अनुसार मोके पर पड्या जहा लदी सी ओमप्रकाश
पि. ज्यारेलाल ब्राह्मण नि बिछौर में विमानन करार से
इनाकार किया गया जिसका परचा नोका मय रिपोर्ट
के सेवा में देखा है

11/2

14/6/19

मोफा पर्चा गाम विद्यौर पं. नं. विद्यौर
द्वारा भू. अं. नि. वृ. विद्यौर

दिना 4-6-19

आज दिनांक 11-6-19 को श्रीमान सहायक कलेक्टर महो
जेंद्र के न्यायालय में विचाराधीन उफरण स. 79/14 (SS-88) का
में पारित आदेश क्रमा दिना. 04/06/18 को जालना में गाम
विद्यौर की आ. नं. 1609 भी - 1610/11 की कित्ता 2 रकबा 1-42 है का
में वादी का 3/7 एक हिस्सा खाल स 123 स का. 1565, 1568, 1570
1573 कित्ता 4 रकबा 0-78 है धरती में वादी का 3/14 एक हिस्सा
वादी व प्रतिवादी गण के मध्य आदेशानुसार विभाजन करने को के
पर एक राट पं. नं. विद्यौर के साथ उपस्थित हुआ

कोके पर वादी व प्रतिवादी व हाजराग गौतमिण के
साथ अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी धरती का निम्नानुसार बरबादी
करने पहुंचे जहा वादी श्री मोमणकाश दि. आरेलाल का.
नि. विद्यौर ने आदेश अनुसार बरबारी नहीं करने को कहा कि
वादी ने कहा की हमारे भाणज नरेन्द्र विरेन्द्र गौर का एक
व्याज कराने के बाद ही हम भाइयो में बरबारा करारवगे
भता. परन्तु कोका वना हाजराग के हासनादर लीये

दिना 4-6-19 आदेश

दिनांक
11-6-19
122

वादी

Amrinder